

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०प०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक- 08/9/16

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च- 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (सा.सा. एवं आ.प्र.) वर्ष- 2013-14 की कंडिका 2.7 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च- 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (सा.सा. एवं आ.प्र.) वर्ष- 2013-14 की कंडिका 2.7 का अनुपालन प्रतिवेदन नगर आयुक्त, नगर निगम पटना का पत्रांक- 7633 दिनांक- 16.07.16 के द्वारा प्राप्त हुआ है कि छायाप्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि नगर आयुक्त, नगर निगम पटना के अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर लोक लेखा समिति की लंबित सूची से उक्त कंडिका- 2.7 को विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
पटना, दिनांक- 08/9/16

ज्ञापांक :- 6189 / न०वि० एवं आ०वि०

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, नगर निगम पटना का पत्रांक- 7633 दिनांक- 16.07.16 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस संबंध में महालेखाकार, बिहार, पटना से सम्पर्क कर विषयांकित कंडिका को विलोपित कराने की दिशा में अपेक्षित कारवाई की जाय।

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

4 01 C

सं०सं०-07/लो०ले०-05/15..... 6175 न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

307

प्रेषक:-

चैतन्य प्रसाद, भा.प्र.से.,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०प०)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक- 08/9/16

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च- 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (सा.सा. एवं आ.प्र.) वर्ष- 2013-14 की कंडिका 3.7 के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक- 4599 दिनांक- 19.07.16।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाय। प्रासंगिक पत्र के द्वारा विषयांकित कंडिका- 3.7 पर लोक लेखा समिति की उपसमिति-4 की दिनांक- 22.08.16 को हुई बैठक में आपके प्रतिनिधि के द्वारा समिति को बताया गया कि आपत्ति कंडिका की जाँच कर ली गई है तथा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है। लेकिन उक्त जाँच प्रतिवेदन से विभाग आज तक अवगत नहीं है।

अतः अनुरोध है कि आपत्ति कंडिका- 3.7 की जाँच प्रतिवेदन से विभाग को शीघ्र अवगत कराने की कृपा की जाय, ताकि जाँच प्रतिवेदन के आलोक में लोक लेखा समिति की उपसमिति-4 को शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके।

विश्वसभाजन

08/9/2016

सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 6175 न०वि० एवं आ०वि०..... पटना, दिनांक- 08/9/16

प्रतिलिपि:- उप सचिव, लोक लेखा समिति की उपसमिति-4, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०प०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कंडिका- 3.4 (राज्य का वित्त) का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

पटना, दिनांक- 16-9-16

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक निरीक्षण प्रतिवेदन सं०- 363/2009-10 के अन्तर्गत नगर पंचायत, अमरपुर में वसूली गई राशि रू० 1,88,123/- (एक लाख अठ्ठासी हजार एक सौ तेईस रू०) के विरुद्ध सरकारी निधि कोष (बैंक खाता) में रू० 72,100/- तथा रू० 1,16,023/- जमा की गई है। जमा की गई कुल राशि रू० 1,88,123/- (एक लाख अठ्ठासी हजार एक सौ तेईस रू०) का नगर पंचायत द्वारा बैंक रसीद एवं कैश-बुक की अभिप्रमाणित प्रति साक्ष्य स्वरूप संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त साक्ष्य के आधार पर विषयांकित कंडिका प्रतिवेदन को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

ज्ञापांक :- 6340 / न०वि० एवं आ०वि०

प्रतिलिपि :- नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, अमरपुर को पत्रांक- 1002 दिनांक- 12.08.16 एवं पत्रांक- 1065 दिनांक- 05.09.16 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हे निदेशित किया जाता है कि इस संबंध में महालेखाकार, बिहार, पटना से सम्पर्क कर विषयांकित कंडिका को विलोपित कराने की दिशा में अपेक्षित कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक- 16-9-16

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०प०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक- 29/9/16

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कड़िका- 3.4 (राज्य का वित्त) का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक निरीक्षण प्रतिवेदन सं०- 522/2007-08 के अन्तर्गत नगर परिषद, मोकामा में एकादश वित्त आयोग एवं द्वादश वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वार्ड न०- 23 के पचमहल्ला चौक से मोकामा घाट तक नाला निर्माण कार्य की राशि रू० 5,00,000/- (पांच लाख रू०) तथा वार्ड न० 1 एवं 2 के बीच श्री रामवृक्ष सिंह के मकान से सुमन सिंह के बथान तक सड़क जिर्णोद्धार की राशि रू० 4,80,300/- (चार लाख अस्सी हजार तीन सौ) रू० की योजना का पूर्णता-सह- उपयोगिता प्रमाण-पत्र की छाया अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

2 नगर परिषद, मोकामा के सिसौनी वार्ड न०- 28 में पी०डब्लू०डी० रोड़ (ईण्डेण गैस गोदाम) तक सड़क नाली निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के हस्तरसीद के कार्य के लिए भुगतान की राशि- 17,946/- (सत्तरह हजार नौ सौ छियालीस) रू० का मास्टर रौल की छाया अभिप्रमाणित प्रति आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

3 नगर परिषद, मोकामा द्वारा भगवती ट्रेडिंग, इंडियन बैंक के पास से निर्माण कार्य के लिए खरीदें गये मटेरियल से संबंधित राशि रू० 80,056/- (अस्सी हजार छप्पन) का विपत्र की छायाप्रति की अभिप्रमाणित प्रति आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

इस प्रकार नगर परिषद, मोकामा द्वारा उक्त दोनों योजनाओं पर निम्न रूप से राशि खर्च की गई है :-

रू० 5,00,000/-

रू० 4,80,300/-

रू० 17,946/-

रू० 80,056/-

कुल रू० 10,78,302/-

(दस लाख अठहत्तर हजार तीन सौ दो) रू०

अतः खर्च की गई उक्त राशि से संबंधित साक्ष्य के आधार पर अनुरोध है कि विषयांकित कड़िका प्रतिवेदन को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

ज्ञापांक :- 6923 / न०वि० एवं आ०वि०

प्रतिलिपि :- नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मोकामा को पत्रांक- 11382 दिनांक- 31.08.16 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हे निदेशित किया जाता है कि इस संबंध में महालेखाकार, बिहार, पटना से सम्पर्क कर विषयांकित कड़िका को विलोपित कराने की दिशा में अपेक्षित कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन

29.9.16

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक- 29/9/16

29.9.16

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

पत्र सं०-07/लो०ले०-03/13..... न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०प०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कंडिका- 3.4 (राज्य का पटना, दिनांक- वित्त) का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक निरीक्षण प्रतिवेदन सं०- 163/2009-10 के अन्तर्गत नगर पंचायत, कटैया (गोपालगंज) में रोकड़ बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि रू० 42,785.45/- (बेयालीस हजार सात सौ पच्चासी रूपये पैंतालीस पैसे) मात्र का सीधा अभिश्रवों द्वारा व्यय किया गया था, जिसका अभिश्रव पंजी में तो संधारित था, लेकिन अंकेक्षण के दौरान उक्त अभिश्रव को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

नगर पंचायत, कटैया का पत्रांक- 261 दिनांक- 19.08.16 द्वारा रू० 42,785.45/- (बेयालीस हजार सात सौ पच्चासी रूपये पैंतालीस पैसे) मात्र का अभिश्रव की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जो साक्ष्य स्वरूप संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त साक्ष्य/अभिश्रवों के आधार पर विषयांकित कंडिका प्रतिवेदन को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक- 6-9-16
नगर पंचायत कटैया को पत्रांक- 261 दिनांक- 19.08.16 के प्रसंग

ज्ञापांक :- 6052 / न०वि० एवं आ०वि०
प्रतिलिपि :- नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत कटैया को

में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि इस संबंध में महालेखाकार, बिहार, पटना से सम्पर्क कर विषयांकित कंडिका को विलोपित कराने की दिशा में अपेक्षित कारवाई की जाय।

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0प0),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक- 25/01/17

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कड़िका- 3.4 (राज्य का वित्त) का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 241/09-10 के अन्तर्गत नगर पंचायत रोसड़ा में विभिन्न संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित राशि रू0- 6,14,129/- (छः लाख चौदह हजार एक सौ उनतीस) रू0 के विरुद्ध कुल 614044/- (छः लाख चौदह हजार चौवालीस) रू0 की राशि संबंधित संग्रहकर्ताओं द्वारा पूर्व में नगर पंचायक कोष में चालान द्वारा जमा करा दिया गया है जो, निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	चालान द्वारा जमा राशि
1	88253.00
2	20373.00
3	29447.00
4	79836.00
5	60000.00
6	62000.00
7	125000.00
8	84135.00
9	65000.00
कुल	614044.00
	(छः लाख चौदह हजार चौवालीस रू0)

उपरोक्त राशि से संबंधित चालान की छायाप्रति (अभिप्रमाणित) संलग्न करते हुए कहना है कि साक्ष्य के आधार पर इस कड़िका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु0- यथोक्त।

ज्ञापांक:- 485 / न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक- 25/01/17
प्रतिलिपि :- विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन
25/1/17
सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 485 / न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक- 25/01/17
प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रोसड़ा का पत्रांक- 408 दिनांक- 12.05.16 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

25/1/17
सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

2 आपके द्वारा रू0 6,14,129/- के विरुद्ध 6,14,044/- की चालान द्वारा नगर पंचायत कोष में जमा करने की सूचना दी गई है, लेकिन रू0 85/- (पच्चासी) रू0 का चालान की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः शेष राशि का चालान द्वारा जमा करने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराया जाय।

25/1/17
सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0प0),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कंडिका- 3.4 (राज्य का वित्त) का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 712/07-08 के अन्तर्गत नगर निगम बेगूसराय के श्री राजेश कुमार, कर संग्राहक द्वारा होल्डिंग रसीद में छेड़छाड़ एवं धोखाघड़ी कर, कर संग्रहण की राशि- 31308/- (ईकतीस हजार तीन सौ आठ) रू0 जमा नहीं करने के विरुद्ध पेनाल्टी 15.5% ब्याज सहित राशि- 36470/- (छत्तीस हजार चार सौ सत्तर) रू0 को अंकेक्षण के दौरान विविध रसीद सं0- 14203 एवं 14204 दिनांक- 10.12.07 द्वारा जमा की गई, जो निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	संग्रहकर्ता का नाम	बेगूसराय नगर परिषद का रसीद सं0	जमा की राशि (रू0 में)
1	श्री राजेश कुमार, कर संग्राहक	14203	4531.00
2	श्री राजेश कुमार, कर संग्राहक	14204	31939.00
		कुल	36470.00
			(छत्तीस हजार चार सौ सत्तर रू0 मात्र)

अतः कुल उक्त जमा राशि रू0 36470/- से संबंधित रसीद की छायाप्रति एवं रोकड़बही की छायाप्रति प्रतिहस्ताक्षरित साक्ष्य संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया साक्ष्य के आधार पर इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:-/न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 489/न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक- 25/08/17

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय का पत्रांक- 1651 दिनांक- 17.08.16 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0प0),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कंडिका- 3.4 (राज्य का वित्त) का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 405/08-09 के अन्तर्गत वसूली राशि रू0 16,600/- (सोलह हजार छः सौ) से संबंधित नगर परिषद, डेहरी डालमियानगर द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि श्री अशोक कुमार, प्रधान सहायक-सह-लेखापाल के विरुद्ध डेहरी थाना में थाना कान्ड सं0- 44 दिनांक- 21.01.13 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिससे संबंधित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। साथ ही रू0 16,600/- (सोलह हजार छः सौ) को भारतीय स्टेट बैंक, डेहरी के खाता सं0- A/C-11352484466, IFSC Code- SBIN0002859 में जमा की छायाप्रति की अभिप्रमाणित भी संलग्न है।

- 2 अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 405/08-09- में श्री निवास तिवारी, तत्कालीन रोकड़पाल, नगर परिषद, डेहरी डालमियानगर द्वारा वेतन मद में रू0 2,11,161/- (दो लाख ग्यारह हजार एक सौ एकसठ) रू0 अधिक निकासी के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री निवास तिवारी की मृत्यु दिनांक- 22.04.2016 को हो गई है, जिससे संबंधित मृत्यु प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त साक्ष्य के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई करते हुए इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:-/न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 488/न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक- 25/01/17

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डेहरी डालमियानगर को पत्रांक- 1827 दिनांक- 28.09.16 एवं पत्रांक- 1566 दिनांक- 16.08.16 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०प०),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक- 19.8.16

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कंडिका- 3.4 (राज्य का वित्त) का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-31/2009-10 के अन्तर्गत नगर परिषद भभुआ में कर्मियों के अन्तिम वेतन प्रक्रम पर रहने एवं अनियमित वेतन वृद्धि के कारण अत्यधिक वेतन भुगतान की राशि- 84,862/- (चौरासी हजार आठ सौ बासठ रु०) का सरकारी निधि कोष में जमा नहीं किये जाने के कारण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कंडिका- 3.4 (राज्य का वित्त) में प्रतिवेदित है तथा लोक लेखा समिति के विचारार्थ रखी गयी है।

इस बीच नगर परिषद, भभुआ द्वारा उक्त राशि उक्त राशि को निम्न रूप से सरकारी निधि कोष में जमा किया गया है :-

क्र० सं०	बैंक	शाखा	खाता सं०	जमा की गयी राशि	जमा तिथि
1	पी०एन०बी०	भभुआ	3863000102029231	74,145.00	07.01.15
2	एस०बी०आई०	भभुआ	11054505485	1,870.00	19.01.15
3	पी०एन०बी०	भभुआ	3863000102029231	3,555.00	21.07.16
4	पी०एन०बी०	भभुआ	3863000102029231	5,292.00	21.07.16
			कुल योग	84,862.00	

जमा की गयी उक्त राशि रु० 84,862/- (चौरासी हजार आठ सौ बासठ रु०) से संबंधित साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि जमा की गयी उक्त राशि के साक्ष्य के आधार पर उसे समायोजित करते हुए विषयांकित कंडिका प्रतिवेदन को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

19.8.16

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०प०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-४,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक- ५-९-१६

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- २०१०-११ की कंडिका- ३.४ (राज्य का वित्त) का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक निरीक्षण प्रतिवेदन सं०- ३२८/२००९-१० के अन्तर्गत नगर परिषद, फुलवारीशरीफ में वसूली गई राशि रू० ६,८४,८७२/- (छः लाख चौरासी हजार आठ सौ बहत्तर रू०) के विरुद्ध सरकारी निधि कोष (बैंक खाता) में रू० १,८२,५७५/- जमा की गई राशि का प्राप्ति रसीद साक्ष्य के रूप में विभागीय पत्रांक- ५५२७ दिनांक- १९.०८.१६ द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष राशि रू० ५,०२,२९७/- (पांच लाख दो हजार दो सौ सन्तानवे रू०) का नगर परिषद द्वारा पारित अभिश्रव की छायाप्रति की अभिप्रमाणित प्रति साक्ष्य स्वरूप संलग्न है।

२. वर्ष २००७-०८ में स्व श्रोतों से गाड़े गये चार चापाकल योजना का योजना अभिलेख/एम.बी./प्राक्कलन एवं मास्टर रौल (छायाप्रति संलग्न) के आधार पर राशि रू० ६६८३८/- (छेयासठ हजार आठ सौ अड़तीस रू०) के विरुद्ध रू०- ६८,६५७/- (अड़सठ हजार छः सौ सन्तावन रू०) का सामंजन की गयी है जो निम्नवत् है:-

(क) योजना सं०-४५/०७-०८-स्वीकृत प्राक्कलन-१७६१९ के विरुद्ध कराये गये कार्य भुगतान की राशि रू०	१५,८००/-
(ख) योजना सं०-७१/२००७-०८-स्वीकृत प्राक्कलन-१७६१९ कराये गये कार्य भुगतान की राशि रू०	१७,६१९/-
(ग) योजना सं०-७२/२००७-०८-स्वीकृत प्राक्कलन-१७६१९ कराये गये कार्य भुगतान की राशि रू०	१७,६१९/-
(घ) योजना सं०-७३/२००७-०८-स्वीकृत प्राक्कलन-१७६१९ कराये गये कार्य भुगतान की राशि रू०	१७,६१९/-
कुल योग-	६८,६५७/-

(अड़सठ हजार छः सौ सन्तावन रू० मात्र)

३. वर्ष- २००७-०८ की योजना सं०- २/०७-०८, ०३/०७-०८ एवं ०४/०७-०८ के संबंध में नगर परिषद, फुलवारीशरीफ से प्राप्त पत्रांक- १३८६ (सा.) दिनांक- २७.०८.२०१६ (अनुलग्नक सहित) साक्ष्य स्वरूप संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त साक्ष्य/अभिश्रवों के आधार पर विषयांकित कंडिका प्रतिवेदन को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

ज्ञापांक :- ६०३६ / न०वि० एवं आ०वि०

प्रतिलिपि :- नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ को पत्रांक- १२९१ सा. दिनांक- २२.०८.१६ के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

२. उन्हे निदेशित किया जाता है कि इस संबंध में महालेखाकार, बिहार, पटना से सम्पर्क कर विषयांकित कंडिका को विलोपित कराने की दिशा में अपेक्षित कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक- ५-९-१६

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०प०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कंडिका- 3.4 (राज्य का वित्त) का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

पटना, दिनांक- 19.8.16

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निरीक्षण प्रतिवेदन सं०- 180/2009-10 के अन्तर्गत नगर पंचायत, मखदुमपुर में सृजित नौ पदों के आलोक में दिनांक- 23.03.96 को समिति की बैठक में संकल्प सं०- 12 द्वारा दैनिक वेतन भेगी के रूप में कर्मियों की नियुक्ति की गयी तथा दिनांक- 17.01.98 को समिति की बैठक में संकल्प सं०-5 के द्वारा इन कर्मियों को नियमित किये जाने के कारण में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कंडिका- 3.4 (राज्य का वित्त) में प्रतिवेदित है तथा लोक लेखा समिति के विचारार्थ रखी गयी है।

उक्त संबंध में नगर पंचायत, मखदुमपुर ने अपने पत्रांक- 736 दिनांक- 17.08.13(छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नलिखित स्थितियों से अवगत कराया गया है :-

- 1 नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 2355 दिनांक- 13.07.1987 से उपाध्यक्ष को कार्यपालक पदाधिकारी का शक्ति प्रदत्त की गयी (आदेश की प्रति संलग्न)।
- 2 जिला पदाधिकारी जहानाबाद द्वारा अपने पत्रांक- 258 दिनांक- 02.03.1996 द्वारा अंचलाधिकारी, मखदुमपुर को कार्यपालक पदाधिकारी अधिसूचितक्षेत्र समिति मखदुमपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति किया गया जिसे अपने आदेश ज्ञापांक- 80 दिनांक- 21.03.1997 द्वारा रद्द करते हुए उपाध्यक्ष अधिसूचित क्षेत्र समिति, मखदुमपुर को अगले आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया।
- 3 नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक- 626 दिनांक- 19.03.1998 द्वारा जिला पदाधिकारी से उपाध्यक्ष-सह-कार्यपालक पदाधिकारी अ०क्ष०स० मखदुमपुर के पत्रांक- 26/98 के द्वारा स्थाई रूप से नियुक्त नौ कर्मियों के वेतन भत्ते मद में (श्रृण एवं अनुदान) की राशि की मांग की जांच का प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया ताकि राशि का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा सके। उपविभाग आयुक्त जहानाबाद के जांच प्रतिवेदन के आधार पर वेतन भत्ते की अनुदान की राशि स्वीकृत करने एवं अवधि विस्तार का उल्लेख किया गया है।
- 4 इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय, पटना एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर आदेश दिया गया है कि नौ वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मियों को सेवा समाप्त नहीं की जा सकती।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में कंडिकावार विषयांकित कंडिका प्रतिवेदन को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0प0),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।
उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक- 25/01/17

विषय :- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष- 2010-11 की कंडिका- 3.4 (राज्य का वित्त) का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0- 31/03-04 के अन्तर्गत वसूली राशि रू0 6,95,139/- (छः लाख पनचानवे हजार एक सौ उन्नचालीस) रू0 के विरुद्ध रू0 3,32,103/- (तीन लाख बत्तीस हजार एक सौ तीन) रू0 का साक्ष्य विभागीय पत्रांक- 3817 दिनांक- 15.06.16 द्वारा आपको भेजा जा चुका है।

शेष राशि रू0 3,63,072/- (तीन लाख तीरसठ हजार बहत्तर) रू0 की वसूली स्व0 वालेश्वर प्रसाद सिन्हा के पुत्र श्री अभय कुमार जो अनुकम्पा के आधार पर नगर परिषद, जहानाबाद में कार्यरत है, के वेतन से प्रतिमाह रू0 5000/- (पांच हजार) की जा रही है, की सूचना दी गई है। सुलभ प्रसंग हेतु नगर परिषद, जहानाबाद का पत्रांक- 1279/मु0 दिनांक- 06.12.16 की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उक्त पत्र के आलोक में संदर्भित कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

24.1.17

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 487 / न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक- 25/01/17

प्रतिलिपि :- विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24.1.17

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 487 / न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक- 25/01/17

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद को पत्रांक- 1279 दिनांक- 06.12.16 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

24.1.17

सरकार के विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग